राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0133

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत के लिए **सत्र 2025-2026 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय / विषयों में स्थाई अनापति प्रमाण पत्र** निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था : PARAMEDICAL EDUCATION ASSOCIATION & SOCIAL SERVICES SOCIETY || 192 Asola Fatehpur Beri Delhi 110074
महाविद्यालय का नाम : INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES & RESEACH (LAW), Vill. BALVANDKA, RAMGARH, ALWAR, Jaipur Division 301028
सम्बद्ध विश्वविद्यालय :Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur
पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Law स्नातक- L.L.B. त्रिवर्षीय

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाऐं प्रवेश-प्रकिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./ राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से सबद्धता प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. स्थाई मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता सवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2025-2026 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय मे प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर अलवर।
5. कुल सचिव, Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur
6. सचिव सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सूचित पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Date: 2026.03.10 12:25:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2025-2026/0134

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत **सत्र 2025-26 से 2027-28 (तीन सत्र)** के लिए स्नातक **स्तर पर नवीन संकाय/विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र** निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था : PARAMEDICAL EDUCATION ASSOCIATION & SOCIAL SERVICES SOCIETY || 192 Asola Fatehpur Beri Delhi 110074
महाविद्यालय का नाम : INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES & RESEACH (LAW), Vill. BALVANDKA, RAMGARH, ALWAR, Jaipur Division 301028
सम्बद्ध विश्वविद्यालय :Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur
नवीन संकाय/ विषय : Law स्नातक - B.A. & L.L.B. पांच वर्षीय

1.संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
2.संस्था सत्र 2028-29 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति हेतु आवेदन करेगी।
3.संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफडीआर) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4.आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5.संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6.संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में BCI से मान्यता व विश्वविद्यालय से समद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7.संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8.संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
9.राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2025-26 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।
10.संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि मे भरकर अपलोड करेगी।
11.मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-ii) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर अलवर।
5. कुल सचिव, Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur।
6. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Date: 2026.03.10 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested